१०.०५.२०२२

पत्रावली पेश हई। अभियुक्तगण मनीष जाटव व मुखिया उपस्थित। अभियुक्त सुनील जाटव एवं ओमप्रकाश उर्फ लंबू की हाजिरी माफी दी गयी, अभियुक्त आयुष शर्मा अनुपस्थित है।

पत्रावली के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि दिनांक २४.१०.२०१९ से सुनवाई एवं आरोप विरचन हेतु पत्रावली नियत थी। अभियुक्त सुनील जाटव द्वारा दिनांक ०४.०१.२२, ०८.०२.२२, १८.०२.२२ एवं ३०.०३.२२ को हाजिरी माफी दी गयी, जिस पर दिनांक ०४.०१.२२ को हाजिरी माफी इस आधार पर स्वीकार की गयी कि क्योंकि अभियुक्त के बीमार होने का मेडिकल प्रेसक्रिप्सन प्रस्तुत किया गया है, किन्तु तिथि १८.०२.२२ को पुनः सुनील जाटव व मनीष जाटव की हाजिरी माफी दी गयी, जिसमें दोनों अभियुक्तों को बीमार होना दर्शित किया गया था। वादी की ओर से विरोध भी हाजिरी माफी का किया गया था, उसके बावजूद आत्यांतिक रूप से अन्तिम अवसर प्रदान करते हुये अगली तिथि प्रदान की गयी। तत्पश्चात दिनांक ३०.०३.२२ को सुनील जाटव के बीमार होने के आधार पर हाजिरी माफी दी गयी, जिस पर व्यक्तिगत रूप से अगली तिथि पर उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया और यह भी आदेश पारित किया गया कि कोई हाजिरी माफी स्वीकार नहीं की जाएगी, लेकिन आज पुनः अभियुक्त सुनील जाटव उपस्थित नहीं आया और हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जो पूर्ववर्ती आधार पर प्रस्तुत किया गया है, लेकिन कोई साक्ष्य का मेडिकल प्रेसक्रिप्सन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभियुक्त सुनील जाटव का हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है। अभियुक्त जरिए अजमानतीय अधिपत्र एवं नोटिस जामिनदार के लिए अगली दिनांक ०६.०६.२०२२ के लिए तलब हो।

अभियुक्त ओमप्रकाश उर्फ लम्बू की पिछली तिथि ३०.०३.२२ को तबियत खराब होने के आधार पर हाजिरी माफी दी गयी थी, जिसे सशर्त स्वीकार करते हुये अगली तिथि यानी आज हेतु व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश पारित किया गया था और यह भी आदेशित किया गया था कि कोई हाजिरी माफी स्वीकार नहीं होगी, उसके बावजूद आज ओमप्रकाश उर्फ लंबू की हाजिरी माफी दी गयी है, जिसे स्वीकार किए जाने का आधार पर्याप्त नहीं है, क्योंकि प्रकरण २०१९ से लम्बित है और अभी तक आरोप विरचन नहीं हो सका है। अतः अभियुक्त ओमप्रकाश उर्फ लम्बू का हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र भी खारिज किया जाता है। अभियुक्त ओमप्रकाश उर्फ लम्बू जरिए अजमानतीय अधिपत्र एवं नोटिस जामिनदार के लिए अगली दिनांक ०६.०६.२०२२ के लिए तलब हो।

अभियुक्त आयुष शर्मा आज अनुपस्थित है, कोई हाजिरी माफी भी नहीं दी गयी है, जब कि पिछली तिथि को सभी अभियुक्तगण को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया था। अतः अभियुक्त आयुष शर्मा भी जरिए अजमानतीय अधिपत्र एवं नोटिस जामिनदार के लिए अगली दिनांक ०६.०६.२०२२ के लिए तलब हो।

पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक ०६.०६.२०२२ को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–१,
फतेहपुर।